न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/172

मदनलाल आयु 49 वर्ष आत्मज कालूलाल जाति अहीर (यादव) निवासी धनाव तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राजस्थान

—अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दकिशोर आत्मज रामचन्द्र जाति अहीर निवासी धनाव तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राजस्थान
2. मनोज आत्मज रामचन्द्र जाति अहीर निवासी धनाव तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राजस्थान
3. सुरेश आत्मज रामचन्द्र जाति अहीर निवासी धनाव तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राजस्थान
4. प्रेम बाई बेवा रामचन्द्र जाति अहीर निवासी धनाव तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राजस्थान
5. सीता बाई पुत्री रामचन्द्र जाति अहीर निवासी धनाव तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राजस्थान
6. हंसा बाई पुत्री रामचन्द्र जाति अहीर निवासी धनाव तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राजस्थान
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राजस्थान

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–

1. श्री श्यामदत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. हिमांशी शर्मा , अभिभाषक, रेस्पो0 कम 01 लगायत 06 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 09.10.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2025 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्टो0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त वाद जो कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार था। आप द्वारा दिनांक 01.05.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया है। श्रीमान से निवेदन है कि दिनांक 01.05.2024 को वादी अपनी काश्तकारी में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था तथा वादी के अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से बवक्त आवाज उपस्थित नही हो सके थे। जिसके कारण उक्त वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया था। वादी/वादी अभिभाषक की मंशा जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित रहने की नहीं थी। अन्त में वादी के अभिभाषक ने न्यायाहित में उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश फरमाए जाने का निवेदन किया।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.04.2025 के द्वारा वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत रेस्टों प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर किए जाने के आदेश प्रदान किये।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 16.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अभिभाषक हिमांशी शर्मा तथा रेस्पो0 कम 07 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह नही देखा कि अपीलान्ट ने दावा संख्या 182/2016 अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का श्रीमान उपखण्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था. उसको पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2025 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं नियमों के विपरीत है। अपीलान्ट काश्तकारी में व्यस्त होने से एवं अपीलान्ट के अभिभाषक के अन्य अदालत में व्यस्त होने के कारण आवाज के समय न्यायालय में नहीं पहुँच पाये, इसी कारण से अदम हाजरी अदम पैरवी में दावा खारिज किया गया था। अपीलान्ट द्वारा दावा पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2025 को बिना किसी आधार के खारिज फरमा दिया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इसके बावजूद भी प्रार्थी का पुनः नम्बर पर लिये

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

जाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है, जो न्याय संगत नही है। अपीलान्ट का दावा पुनः नम्बर पर नही लिया गया तो अपीलान्ट को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नही किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा दावे में साक्ष्य के शपथ पत्र प्रस्तुत किए हुए है लेकिन रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा जानबूझकर मुकदमें को देरी से निस्तारण करवाने हेतु जिरह नही की गयी है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट का मुकदमा नम्बर पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वाद को पुनः स्थापित किये जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

6. रेस्पोन्डेन्ट 01 लगायत 06 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधी सम्मत तरीके से निष्पक्ष जांच करते हुए विधी सम्मत प्रकिया का पालना करते हुए आदेश दिनांक 16.04.2025 द्वारा वादी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। वादीगण इससे पूर्व भी न्यायालय में अनुपस्थित रहे थे जिस कारण उनके द्वारा प्रस्तुत वाद 01.05.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया था जिसके बाद माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया और पुनः दिनांक 16.04.2025 को अनुपस्थित रहे। यह प्रार्थीगण की घोर लापरवाही व न्यायालय का वक्त बर्बाद करने की मंशा को दर्शाता है। अपीलांट द्वारा न्यायालय तथा रेस्पो0 प्रार्थीगण का समय बर्बाद करने की नियत से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कहे गए कथन पूर्णतया मिथ्या तथा बेबुनियाद है। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 01 लगायत 06 ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व अधिवक्ता अपीलांट व अधिवक्ता रेस्पो0 01 लगायत 06 की बहस पर मनन किया।हस्तगत वाद अधिकारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं आवंटन निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.04.2025 को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। वादी अपीलांट का यह कथन है कि वो दौराने बहस काश्तकारी के काम में व्यस्त था तथा उसके अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तथा इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र अदम तकमील में खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.04.2025 के अवलोकन से भी यह विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवाजें सांय 05:00 बजे तक लगाई गई जबकि न्यायालय का समय सांय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

6:00 बजे तक का होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत पर्याप्त समय नहीं दिया गया तथा नियत समय से पूर्व ही प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को अदम तकमील में खारिज किए जाने का आदेश पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। हमारे मत में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने का कारण सद्भाविक होना प्रकट होता है। चूंकि हस्तगत वाद हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती बाबत पेश किया गया है अतः हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किसी न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोर किए जाने वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2025 को निरस्त किया जाकर वादी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को पुनः नम्बर पर लिए जाने का आदेश देना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 84/2024 में पारित आदेश दिनांक 16.04.2025 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वह हस्तगत वाद संख्या 182/2016 को पुनः नम्बर पर लेकर उभयपक्षकारान को जरिये सम्मन नोटिस तलब करें। तथा समस्त पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.11.2025 को उपस्थित होवें।

9. निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/10/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा